

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रभु,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

जेनरल मैनेजर,
मे0 रूंगटा माईन्स,
रूंगटा हाउस, चाईबासा।

मेदिनीनगर, दिनांक 22/8/15

विषय:- पलामू जिलान्तर्गत पांकी अंचल अन्तर्गत मौजा-दुरियातु, थाना-पांकी, थाना संख्या-507, के खाता संख्या-01,2,3,6,9,10,13,14 एवं 15 का कुल रकबा 107.8.5 में से 106.00.5 एकड़ क्षेत्र में गैर वन भूमि के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक RML/Land/15-16/018 Dated 13-4-2015
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके द्वारा आवेदित पलामू जिलान्तर्गत पांकी अंचल अन्तर्गत मौजा-दुरियातु, थाना-पांकी, थाना संख्या-507, के खाता संख्या-01,2,3,6,9,10,13,14 एवं 15 का कुल रकबा 107.8.5 एकड़ गैर वन भूमि के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्ता संबंधी जांच इस प्रमण्डल के सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दरी प्रक्षेत्र एवं प्रभारी प्रमण्डलीय अमीन से करावाया गया। सहायक वन संरक्षक, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दरी प्रक्षेत्र एवं प्रभारी प्रमण्डलीय अमीन के साथ स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् अपने पत्रांक शून्य दिनांक 29.7.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित गैर वन भूमि में से प्लॉट संख्या-217,119,56 एवं 76 रकबा क्रमशः 0.91 एकड़, 0.25 एकड़ एवं 0.05 एकड़ कुल 1.80 एकड़ क्षेत्र छोटे-छोटे प्लॉट हैं तथा मुख्य आवेदित क्षेत्र से अलग हैं एवं ये वन भूमि से सटे हुये भी नहीं हैं। अतः 1.80 एकड़ गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ग्राह्य योग्य नहीं है। उनके द्वारा गैर वन भूमि 107.8.5 एकड़ में से 106.00.5 एकड़ गैर वन भूमि ही क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य पाये जाने का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। (जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न)।

अंचल अधिकारी, पांकी अंचल द्वारा स्वामित्व प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त भूमि पर श्रीमति ललीता सिंह, पिता-श्री गोवर्धन प्रसाद सिंह, श्री किशोर कुमार सिंह पिता स्व० कामता प्रसाद सिंह, श्री गोवर्धन प्रसाद सिंह, पिता स्व०-कौलेश्वर प्रसाद सिंह, कृष्णा प्रसाद सिंह पिता-स्व० कामता प्रसाद सिंह, विश्व विजय सिंह पिता-स्व० सरयु प्रसाद सिंह श्री दिग्विजय सिंह पिता स्व०-सरयु प्रसाद सिंह का दखल कब्जा है तथा उक्त भूमि स्वामियों द्वारा आपके कम्पनी को बिक्री हेतु शपथ पत्र समर्पित किया गया है।

जिला अवर निबंधक, पलामू के पत्रांक 434 दिनांक 03.7.2015 द्वारा अवभास्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

अपर समाहर्ता, पलामू, मेदिनीनगर के ज्ञापांक 125 दिनांक 10.6.2015 द्वारा उक्त गैर वन भूमि का अनापति प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा निर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र, अपर समाहर्ता, पलामू द्वारा अंचल अधिकारी, पांकी द्वारा निर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि एवं सहायक वन संरक्षक के

22-8-15

पत्रांक शून्य दिनांक 29.7.2015 के संयुक्त जांच प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा आलोक में उपरोक्त 107.85 एकड़ गैर वन भूमि में से 106.00.5 एकड़ गैर वन भूमि मानचित्र में चिह्नित प्लॉट(छाया प्रति संलग्न) के अनुसार का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

भविष्य में यदि उक्त वर्णित भूमि पर यदि किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य, भू-स्वामित्व संबंधी विवाद, किसी बैंक से ऋण प्राप्ति की सूचना या अतिक्रमण पाया जाता है तो यह भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए ग्राह्य नहीं होगा। साथ ही भविष्य में यदि कोई आवेदित प्लॉट/भूमि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या-202/95 में पारित अंतरिम आदेशानुसार पारिभाषित वन भूमि की श्रेणी में आता है एवं उस पर कोई गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र स्वतः रद्द समझा जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

Land Plot 20

विश्वासभाजन,

22.8.15
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

मुंबई/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।
22-8-15